Web Copy - Not Official

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय), जोधपुर

अधिष्ठित : डॉ. श्याम सुन्दर लाटा — अध्यक्ष

श्री बलवीर खुड़खुड़िया — सदस्य

उपभोक्ता शिकायत संख्या — 284/2020

(प्रस्तुत करने की दिनांक — 24.12.2020)

दिनेश कुमार टाक पुत्र श्री चुतरा राम टाक, निवासी—टाकों की ढ़ाणी, खजुरियो की ढ़ाणी, चौकड़ी कल्लां, तहसील पीपाड़, जिला जोधपुर।

— परिवादी

बनाम

1. Maruti Suzuki India Limited, 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi.
2. Maruti Suzuki Arena, (LMJ Service Ltd.), A-11, Industrial Estate, Opp. Udhyog Bhawan, New Power House Road, Jodhpur.

— विपक्षीगण

उपस्थितः—

1. परिवादी अनुपस्थित।
2. श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता, वास्ते विपक्षी संख्या 01

परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

—:: निर्णय ::— दिनांकः 12—10—2023

परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया कि परिवादी ने विपक्षी संख्या दो से दिनांक 06.10.2019 को वाहन कार विटारा ब्रेजा खरीद किया। उस समय वाहन की विशेषताओं में यह बताया गया था कि इसमें कम्पनी द्वारा उच्च क्वालिटी के एयरबैग लगाए गए है, जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर स्वतः ही खुल जाएंगे तथा वाहन में सवार किसी व्यक्ति के जान—माल का नुकसान नहीं होगा। इन्ही विशेषताओं को देखते हुए परिवादी द्वारा उक्त वाहन खरीद किया गया था, किन्तु हाल ही में दिनांक 10.03.2020 को वाहन में सवार होकर जोधपुर आते समय रियां गांव के पास यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, किन्तु इसके बावजूद वाहन में लगे एयरबैग नही खुले। परिवादी द्वारा सीट बैल्ट लगा रखने के कारण बडी अनहोनी कारित होने से रह गई। वाहन के एयरबैग नहीं खुलने से वाहन में निर्माण—त्रुटि होना स्पष्ट साबित है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा त्रुटि—पूर्ण वाहन विक्रय किये जाने का कथन कर सेवा में कमी व अनुचित व्यापार—व्यवहार बतलाया गया तथा परिवादी को बेची गई डिफेक्टिव

कार बदलकर नया वाहन देने के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति, विधिक–व्यय आदि के लिए अनुतोष चाहा गया।

विपक्षी संख्या एक की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि एयरबैग सामने की साईड से गम्भीर टक्कर लगने पर खुलते है तथा पिछली साईड में टक्कर लगने से नहीं खुलते है। इसके अतिरिक्त छोटी टक्कर होने की स्थिति में भी एयरबैग नहीं खुलते है। परिवादी का वाहन में सामान्य दुर्घटनाग्रस्त होने तथा सामने से भिड़त नहीं होने के कारण एयरबैग नहीं खुले। एयरबैग खुलने की परिस्थितियां वाहन के साथ दिये गये वाहन–स्वामी के मैन्युएल में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। परिवादी वाहन में टूट–फूट का क्लेम बीमा कम्पनी से प्राप्त कर चुका है। वाहन के एयरबैंग नही खुलना किसी प्रकार की निर्माण–त्रुटि नहीं है। बल्कि दुर्घटना की परिस्थितियों एवं वाहन की टक्कर व फोर्स आदि अनेक बातों पर निर्भर होने के कारण इस मामले में एयरबैग नहीं खुलना किसी प्रकार से सेवा में कमी व वाहन में त्रुटि नहीं है। इस प्रकार परिवाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

विपक्षी संख्या दो पर नोटिस की तामिल के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में अवधार्य विषयों के संबंध में आयोग का निष्कर्ष एवं विनिश्चय इस प्रकार है :–

परिवादी ने विपक्षीगण से खरीद की गई कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद इसके एयरबैग नहीं खुलने के कारण वाहन में त्रुटि होने से इसे बदलने का अनुतोष चाहा है। जबकि विपक्षीगण के अनुसार प्रत्येक प्रकार की तथा छुट–पुट दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग नहीं खुलते है। बल्कि वाहन निश्चित स्पीड तथा फोर्स से टकराने पर ही एयरबैग सक्रिय होते है। इस संबंध में विपक्षी ने उनके ऑनर मैन्युएल में दर्शायी गई परिस्थितियों के अनुसार परिवादी का वाहन सामान्य रूप से तथा पीछे से दुर्घटनाग्रस्त होने तथा सामने से व काफी ताकत से भिडन्त नहीं होने के कारण एयरबैग खुलने की परिस्थितियां उत्पन्न होना नहीं बताया है।

हमारी राय में यह तथ्य दोनों पक्षों की विस्तृत साक्ष्य तथा दुर्घटना के घटनाक्रम की परिस्थितियां–टक्कर लगने के फोर्स व साईड आदि के संबंध में विस्तृत साक्ष्य के पश्चात ही यह तय हो सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में एयरबैग का खुलना वाजिब था अथवा एयरबैग खुलने के अनुरूप दुर्घटना की परिस्थितियां उत्पन्न नही हुई थी। उक्त जटिल तथ्यात्मक विवाद का निर्धारण दोनों पक्षों की विस्तृत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से निर्धारण किया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत हस्तगत संक्षिप्त प्रकृति की कार्यवाही में उक्त जटिल तथ्यात्मक बिन्दुओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय में कार्यवाही किये जाने की स्वतंत्रता के साथ परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::— .

अतः परिवादी दिनेश कुमार टाक द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है। परिवादी सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2023 को विवृत्त आयोग सुनाया गया।

(श्री बलवीर खुड़खुड़िया)
सदस्य

(डॉ. श्यामसुन्दर लाटा)
अध्यक्ष

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय
Web Copy - Not Official